

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2016, शनिवार/अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1938 No. 46] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1938

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> > भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 235.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, [महाप्रबंधक (वाणिज्य) शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने], भर्ती नियमावली 1993 के अधिक्रमण में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोडकर, जहां तक उनका संबंध महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद से हैं, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने के महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद पर भर्ती की पद्धित को नियमित करने हेत् निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ**.—(1) इन नियमों को कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, महाप्रबंधक (वाणिज्य) वर्ग "क" भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगें।
 - 3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा योग्यता आदि.— इस पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।
 - 4. अयोग्यता.— कोई व्यक्ति
 - (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पित अथवा पत्नी जीवित हो अथवा

5470 GI/2016 (1307)

(ख) जो, जीवित पति अथवा पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है। उपर्युक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

बशर्ते कि केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

- 5. छूट प्रदान करने का अधिकार:—यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित हो तो वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को आदेश द्वारा, ऐसे कारणों के लिए जिन्हें लिखित में रिकॉर्ड किया जा सके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकती है।
- 6. इसके अतिरिक्त-इन नियमों से, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	क्या चयन अथवा गैर	सीधी भर्ती हेतु
			स्तर	चयन पद है	आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महाप्रबंधक	1* (2016)	सामान्य केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं
(वाणिज्य)	* कार्यभार की प्रकृति के	सेवा, समूह ''क'',	स्तर 12 (रूपये		
	आधार पर अलग–अलग	राजपत्रित,	78800—209200)		
		गैर–मंत्रालयीन			

सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति पर लागू होंगी	हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु अवधि संविदा सहित)

भर्ती को प्रोन्नत या प्रतिनियुक्त या आमेलन के माध्यम से किए	यदि विभागीय पदोन्नति	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा
जाने के मामले में वह ग्रेड, जिसमें से कि ऐसी प्रोन्नित या	समिति मौजूद है तो उसकी	आयोग से किन परिस्थितियों में
प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है ।	संरचना	परामर्श किया जाना अपेक्षित है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित)	लागू नहीं	प्रत्येक भर्ती के समय संघ लोक
(क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक		सेवा आयोग से परामर्श करना
उपक्रम अथवा अर्द्ध शासकीय, सांविधिक अथवा स्वायत्त		आवश्यक है।
संगठनों के अधिकारी		
(क)(i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित करता हो अथवा		
(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रूपये 67700—208700) के		
वेतन में 5 वर्षों की नियमित सेवा हो		
(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताओं तथा अनुभव धारित		
करता हो		
(क) अनिवार्य :		
(i) रसायन इंजीनियरिंग अथवा रसायन तकनीकी में स्नातक		
की उपाधि के साथ किसी सरकारी संगठन या उपक्रम में		
विपणन या वित्त या फार्मास्यूटिकल या औषधि या रसायन के		
उत्पादन संबंधी मामलों में 9 वर्षों का अनुभव		
<u>अथवा</u>		
(ii) रसायन इंजीनियरिंग या रसायन तकनीकी में स्नातकोत्तर		
की उपाधि के साथ किसी सरकारी संगठन या उपक्रम में		
विपणन या वित्त या फार्मास्यूटिकल या औषधि या रसायन के		
उत्पादन संबंधी मामलों में 7 वर्षों का अनुभव		

अथवा

(iii) रसायन शास्त्र अथवा फार्मास्यूटिकल या रसायन अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ किसी सरकारी संगठन या उपक्रम में विपणन या वित्त या फार्मास्यूटिकल या औषधि या रसायन के उत्पादन संबंधी मामलों में 8 वर्षों का अनुभव

अथवा

- (iv) किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि तथा एम.बी.ए. या पी.जी.डी.एम.(विपणन) के साथ किसी सरकारी संगठन या उपक्रम में विपणन या वित्त या फार्मास्यूटिकल या औषधि या रसायन के उत्पादन संबंधी मामलों में 8 वर्षों का अनुभव (ख) वांछनीय:
- (i) लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि

टिप्पणी 1: केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले किसी संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (लघु अवधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2ः प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा इस आवेदन को प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

िट्यणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर होने वाली नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से पहले जिस तारीख को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू हुई थी, नियमित आधार पर की गई सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा तत्सम रूपी वेतनमान में या ऐसे वेतनमान में की गई है, जो कि उक्त वेतनमान की सिफारिशों के आधार पर लागू हुआ है । केवल उस स्थिति को छोड़कर जिसमें कि एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों को एक ग्रेड पे या वेतनमान में मिला दिया गया है और जहां कि यह लाभ केवल उसी पद को मिलेगा जिसके लिए बिना उन्नयन में ग्रेड पे या वेतनमान को सामान्य ढंग से प्रतिस्थापित किया गया है ।

[फा.सं. II (17)/2/स्था./सी.सी.एफ./2013] टी.के. सतपथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th November, 2016

- **G.S.R. 235.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Chief Controller, Government Opium & Alkaloid Factories (General Manager (Commercial), Government Opium & Alkaloid Factories), Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of General Manager (Commercial) in the office of the Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, namely:-
- **1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Office of the Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, General Manager (Commercial), Group 'A' post Recruitment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification, level in the Pay Matrix. The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.-** Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classifications	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruits
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Manager (Commercial)	1* (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800- 209200)	Not applicable	Not applicable

Educational and other	Whether age and	Period of probation, if	Method of recruitment whether
qualifications required for	educational qualifications	any	by direct recruitment or by
direct recruits	prescribed for direct recruits		promotion or by deputation or
	will apply in the case of		absorption and percentage of
	promotees		the vacancies to be filled by
			various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-
			term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption,	If a Departmental	Circumstances in which
level in the pay matrix from which promotion or deputation or	Promotion Committee	Union Public Service
absorption to be made	exists what is its	Commission is to be
	composition	consulted in making
		recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):	Not Applicable	Consultation with Union
(a) Officers of the Central Government or State Government or		Public Service Commission
Public Undertaking or Semi Government, Statutory or		is necessary on each
Autonomous Organisations,-		occasion.
(a)(i) holding analogous posts on regular basis; or		
(ii) with five years' regular service in level 11 in pay matrix		
Rs. 67700-208700; and		
(b) possessing the following educational qualifications and		
experience:-		
(A) Essential:		
(i) Bachelor's Degree in Chemical Engineering or Technology		

with nine years experience in matters relating to marketing or finance or production of pharmaceuticals or drugs or chemicals in any Government organization or undertaking; or

- (ii) Master's Degree in Chemical Engineering or Technology with seven years experience in matters relating to marketing or finance or production of Pharmaceuticals or drugs or chemicals in any Government organisation or undertaking; or
- (iii) Masters degree in Chemistry or Pharmaceuticals or Applied Chemistry with eight years experience in matters relating to marketing or finance or production of pharmaceuticals or drugs or chemicals in any Government organisation or undertaking; or
- (i) Bachelors degree in any subject plus Masters degree in Business Administration or Post Graduate Diploma in Management (Marketing) with eight years experience in matters relating to marketing or finance or production of pharmaceuticals or drugs or chemicals in any Government organisation or undertaking.

(B) Desirable:

Masters in Public Administration.

Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

Note 3:For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into a pay level in pay matrix, and where this benefit will extend only for the post for which that pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F.No. II (17)/2/Estt./CCF/2013] T. K. SATHPATHY, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2016

सा.का.िन. 236.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बेतार अनुश्रवण संगठन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, बहु-कार्यन (मल्टी-टास्किंग) कर्मचारी भर्ती नियम-2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. (i) इन नियमों कोबेतार अनुश्रवण संगठन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, बहु-कार्यन (मल्टी-टास्किंग) कर्मचारी भर्ती (संशोधन) नियम-2011कहा जाएगा।
 - (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

- 2. बेतार अनुश्रवण संगठन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, बहु-कार्यन (मल्टी-टास्किंग) कर्मचारी भर्ती नियम-2011 में,-
 - (1) नियम 2 में, जिन दो स्थानों पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शब्दों का उल्लेख किया गया है उन दोनों स्थानों पर इन शब्दों को "पे मैंट्रिक्स में स्तर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (2) मद (4) की अनुसूची में,-
 - (क) शीर्षक को निम्नलिखित शीर्षक से प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात् "पे मैटिक्स में स्तर":
 - (ख) प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात् "स्तर-1 (18000-56900)".

[मिसिल सं. ए-12015/01/2010-प्रशासन (भाग)]

विनय चौधरी, उप सचिव (प्रशासन-II)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 28th November, 2016

- **G.S.R. 236.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules to amend the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications, Multi–Tasking Staff Recruitment Rules -2011, namely:—
- 1. (i) These rules may be called the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications, Multi-Tasking Staff Recruitment(Amendment) Rules, 2011.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications, Multi-Tasking Staff Recruitment Rules, 2011,-
 - (1) in rule 2, for the words "Pay Band and Grade Pay/Pay scale" of both the places where they occur, the words "the level in the pay matrix" shall be substituted;
 - (2) in the Schedule, in column (4),-
 - (a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:
 "Level in the pay matrix";
 - (b) for the entries, the following entries shall be substituted, namely: "Level-1 (Rs.18000-56900)".

[F. No. A-12015/01/2010-Admn.(Pt.)]

VINAY CHAUDHURY, Dy. Secy. (Admn.II)

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूर, 28 नवम्बर, 2016

- सा.का.िन. 237.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2004 एवं 2009 के अधिक्रमण में, अब तक, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव एवं प्रधान निजी सचिव के पदों से संबंधित मामलों में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कार्यों के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में समूह 'क' के पदनाम तथा भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेत् राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-
- 1. **लघु शीर्षक और आरंभ** इन नियमों को आशुलिपिकीय कर्मचारियों के संदर्भ में अंतरिक्ष विभाग (वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव एवं प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2016 कहा जाए,
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैण्ड तथा श्रेणी वेतन उक्त से संबंधित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए।
- **3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए।

4. अपात्रता

(क) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

अथवा

(ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका पित/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु वह व्यक्ति अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू सार्वजनिक कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद है, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट मिली हो।

- 5. छूट देने का अधिकार- जहां कहीं भी केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यवहारिक है तो, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दी जा सकती है।
- **6. व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित आदेशों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड और	क्या चयन अथवा	सीधी भर्ती के लिए
			श्रेणी वेतन	गैर चयन पद है	आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
(1) वरिष्ठ प्रधान	2* (2016)	सामान्य	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं
निजी सचिव	* कार्य की मात्रा के	केंद्रीय सेवाएं	स्तर 12		
	आधार पर परिवर्तन	समूह 'क'			
	की शर्त पर	(राजपत्रित)			

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक	क्या सीधी भर्ती के लिए	परिवीक्षा की अवधि, यदि	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती
शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	निर्धारित आयु और शैक्षणिक	कोई	अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा
	अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर		प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और
	लागू होंगी।		विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले
			पदों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, उपरोक्त के अभाव
			में प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते
पदोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन किन श्रेणियों द्वारा भर्ती	विद्यमान है तो उसकी रचना कैसी है?	समय संघ लोक सेवा आयोग का
की जानी चाहिए	·	परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
(क) पदोन्नति :-	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति में	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा
(i) अंतरिक्ष विभाग में प्रधान निजी सचिव जिन्होंने	शामिल हैं:	आयोग से परामर्श लेने से छूट
नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अंतरिक्ष	1 अपर सचिव, अं.वि. : अध्यक्ष	प्राप्त है।
विभाग में प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/	2 संयुक्त सचिव : सदस्य	
परियोजना वैयिक्तक सचिव के रूप में वेतन	(कार्मिक), अं.वि.	
मैट्रिक्स के स्तर 11 में कम-से-कम 5 वर्षों की	3 संयुक्त सचिव : सदस्य	
सेवा या 12 वर्षों की सम्मिलित सेवा की हो।	(वित्त), अं.वि.	
(ii) अंतरिक्ष विभाग में निजी सचिव जिन्होंने नियमित	4 वैज्ञानिक सचिव, : सदस्य	
आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स के	इसरो	
स्तर 8/9 में 14 वर्ष की सेवा की हो।		
(ख) प्रतिनियुक्ति:-		
केंद्र सरकार में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ		
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में सदृश पदों को		
धारित करने वाले अधिकारी।		
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, किसी पूर्व-संवर्ग में		
प्रतिनियुक्ति की अवधि को शामिल करते हुए, समान		
अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में		
तत्काल नियुक्ति पर जाने को शामिल करते हुए		
सामान्यत: 4 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए)		
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा,		
आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के अंतिम दिनांक तक 56		
वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

1	2	3	4	5	6
(2) प्रधान	1* (2016)	सामान्य केंद्रीय सेवाएं	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं
निजी सचिव	* कार्य की मात्रा के	समूह 'क' (राजपत्रित)	स्तर 11		
	आधार पर परिवर्तन				
	की शर्त पर				

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, उपरोक्त के अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा।

11	12	13
(क) पदोन्नति :-	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति में	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक
अंतरिक्ष विभाग में निजी सचिव एवं परियोजना	शामिल हैं:	सेवा आयोग से परामर्श लेने से
वैयक्तिक सचिव जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के	1 अपर सचिव, अ.वि. : अध्यक्ष	छूट प्राप्त है।
पश्चात् अंतरिक्ष विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 और	2 संयुक्त सचिव : सदस्य	•
/या स्तर 9 में कम-से-कम 6 वर्षों की सेवा की हो।	(कार्मिक), अं.वि.	
(ख) प्रतिनियुक्ति:-	3 संयुक्त सचिव : सदस्य	
केंद्र सरकार में 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ	(वित्त), अं.वि.	
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सदृश पदों को	4 वैज्ञानिक सचिव, : सदस्य	
धारित करने वाले अधिकारी।	इसरो	

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, किसी पूर्व-संवर्ग में प्रतिनियुक्ति	
की अवधि को शामिल करते हुए, समान अथवा केंद्र	
सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में तत्काल नियुक्ति	
पर जाने को शामिल करते हुए सामान्यत: 4 वर्षों से	
अधिक नहीं होनी चाहिए) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति	
हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के	
अंतिम दिनांक तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	

[सं. 2/9/1/2004-I]

के.वी. लक्ष्मण कुमार, उप सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 28th November, 2016

- **G.S.R. 237.** In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Space (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2004 & 2009, in so far as they relate to the posts of Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Department of Space, namely:-
- **1. Short title and commencement** These rules may be called the Department of Space (Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2016, in respect of Stenographic Staff.
- **2. Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** The number of the said posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of Recruitment, Age limit, Qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- **4. Disqualification** No person, –
- a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
- b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits
1 1) Senior Principal Private Secretary	2 2* (2016) * Subject to	3 General Central Services Group	4 Level 12 in the Pay Matrix	5 Selection	6 Not applicable
	variation dependent on workload	'A' (Gazetted)			

Educational and other qualifications required for direct recruits	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and
	promotees		percentage of the posts to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

	case of recruitment by promotion/ outation/absorption, grades from which motion/deputation/absorption to be made	Committee exists, what is the composition?			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
	11	12			13
(a) (i)	Principal Private Secretary in the Department of Space in Level 11 in the Pay Matrix with a minimum of 5 years service or 12 years combined service as Principal Private Secretary/Private Secretary/Project Personal Secretary in the Department of Space rendered after appointment thereto on	P	roup 'A' Deparromotion Coronsisting of : Additional Secretary, Department of Space		Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission
(ii) (b)	regular basis. Private Secretary and Project Personal Secretary in the Department of Space in Level 8/9 in the Pay Matrix with a minimum of 14 years service rendered after appointment thereto on regular basis. Deputation:-	2.	Joint Secretary (Personnel) Department of Space	: Member	
	Suitable officers holding analogous posts in the Level 11 in the Pay Matrix with 5 years regular service in Central Government. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post	3.	Joint Secretary (Finance) Department of Space	: Member	
	held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years). The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	4.	Scientific Secretary, ISRO	: Member	

	1	2	3	4	5	6
2)	Principal	1*(2016)	General Central	Level 11 in the	Selection	Not applicable
	Private	*Subject to	Services Group	Pay Matrix		
	Secretary	variation	'A' (Gazetted)			
		dependent				
		on workload				

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

11				12			13
(a)	Promotion	Gro	up 'A' Dep	artmental	Promotion	Department	of Space is
	Private Secretary and Project Personal	Com	imittee consis	ting of :		exempt fro	m consultation
	Secretary in Level-8 and/or in Level 9					with the	Union Public
	in the Pay Matrix in the Department of	1.	Additional	:		Service Com	mission
	Space with a minimum of 6 years		Secretary,	Chairman			
	service in the levels rendered after		Department				
	appointment thereto on regular basis.		of Space				
(b)	Deputation	2.	Joint	: Member			
	Suitable officers holding analogous		Secretary				
	posts or in Level-10 in the Pay Matrix		(Personnel)				
	with 8 years regular service in Central		Department				
	Government.		of Space				
	(The period of deputation including the	3.	Joint	: Member			
	period of deputation in another ex-cadre		Secretary				
	post held immediately preceding this		(Finance)				
	appointment in the same or some other		Department				
	Organisation/Department of the Central		of Space				
	Government shall ordinarily not exceed	4.	Scientific	: Member			
	4 years). The maximum age limit for		Secretary,				
	appointment by deputation shall not be		ISRO				
	exceeding 56 years as on the closing						
	date of receipt of applications.						

[No. 2/9/1/2004-I] K.V. LAKSHMANA KUMAR, Dy. Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 238.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता और बम्बई, वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती नियम, 1975 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके प्रादेशिक कार्यालयों में वैज्ञानिक अधिकारियों के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके प्रादेशिक कार्यालयों में वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2.पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3.भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4.निरर्हताएं: वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- **5. शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन अथवा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
			लेवल	अचयन पद	के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वैज्ञानिक	18* (2016)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं
अधिकारी	(*कार्यभार के	सेवा समूह 'ख'	लेवल-8		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए
(विद्युत)	आधार पर	(राजपत्रित)	रूपये 47600-		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
	परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय	151100/-		सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक
	सकता है।))			शिथिल की जा सकती है।)
					टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने
					के लिए निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के
					लिए नियत की गई अंतिम तारीख
					होगी। (न् कि वह अंतिम तारीख्जो
					असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश
					त्राज्य के लद्दाख खड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा
					क लाहाल आर स्पात जिल तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान
					अर निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
					अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	क्या सीधे भर्ती किए	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई	भर्ती की पद्धति –भर्ती सीधे
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	जाने वाले व्यक्तियों के	हो	होगी या प्रोन्नति द्वारा या
	लिए विहित आयु और		प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा
	शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा
	व्यक्तियों की दशा में		भरी जाने वाली रिक्तियों की
	लागू होंगी या नहीं		। प्रतिशतता
			त्रातरातता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	आयु∶ नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय	शैक्षिक अर्हताएं∶ नहीं	व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	 जिसके न हो सकने पर
अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर		टिप्पण : परिवीक्षा के रूप में,	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके
डिग्री अथवा इलैक्ट्रिकल		पद के कार्यों और	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी
इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल एवं		उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में	है, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती
इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या		राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा	इ. द्वारा।
इलैक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार		प्रकल्पित और प्रायोजित दो	
इंजीनियरिंग में डिग्री; और		से चार सप्ताह का अनिवार्य	
		अभिमुखी प्रशिक्षण।	

नहीं है।

(ii) किसी प्रयोगशाला में उन्नयन		
र्वे इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स मापन		
का एक वर्ष का अनुभव अथवा		
मोटर्स या स्विचगियर्स या प्रकाश		
और प्रकाशमापन या बैटरीज़ या		
केबल या इलैक्ट्रिकल उपस्कर		
इत्यादि जैसे इलैक्ट्रिकल स्टोर्स के		
परीक्षण एवं विकास के क्षेत्र में एक		
वर्ष का अनुभव, भारतीय मार्नक		
अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण		
संगठन अथवा अंतर्राष्ट्रीय		
इलैक्ट्रोतकनीकी आयोग के मानदंडों		
के अनुसार इलैक्ट्रिकल मापन यंत्र		
एवं उपकरण के मापांकन का		
अनुभव।		
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित		
अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए		
जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा		
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा		
सकती है।		
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन		
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं)		
संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार		
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित		
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब		
शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के		
किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की		
यह राय है कि उनके लिए आरक्षित		
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव		
रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के		
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना		

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा	संरचना	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।		किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक
ऐसे वैज्ञानिक सहायक (विद्युत) जिन्होंने वेतन	1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी',	सेवा आयोग से परामर्श करना
मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-142400/- में	राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष	आवश्यक है।
नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष	2. वैज्ञानिक सी (विद्युत), राष्ट्रीय परीक्षण	
सेवा है।	शाला : सदस्य	
टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने	3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय	
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	परीक्षण शाला : सदस्य	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां	4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता	
उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार	मामले विभाग : सदस्य	
किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:	
गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या	1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी,	
पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष	राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष	
से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने	2. वैज्ञानिक सी (विद्युत), राष्ट्रीय परीक्षण	
अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी	शाला : सदस्य	

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है।
 - (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है). जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनिययक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आय सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर

3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य
4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य

आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.वैज्ञानिक	40* (2016)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं
अधिकारी	(*कार्यभार के	सेवा समूह 'ख'	में लेवल-8		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए
(कैमिकल)	आधार पर परिवर्तन	्र (राजपत्रित)	रूपये 47600-		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
	किया जा सकता है।)	अननुसचिवीय	151100/-		सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा
					सकती है।
					टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और
					स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी
					उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	आयु∶ नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
 (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन अथवा माइक्रोबॉयोलॉजी में मास्टर डिग्री अथवा कैमिकल टैक्नॉलॉजी या कैमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री; और (ii) किसी विश्लेषणात्मक अथवा रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव अथवा अनुसंधान एवं विकास कार्य अथवा अयस्क, खनिज, धातु अथवा तेल एवं ईंधन तथा विभिन्न जैविक एवं अजैविक उत्पाद अथवा पेंट एवं पॉलीमर सामग्री के विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव। 	शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	व्यक्तियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।	जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की			
दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा			
सकती हैं।			
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के			

विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

प्रोन्नति:

ऐसे वैज्ञानिक सहायक (कैमिकल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा कि है।

(11)

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानुनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।
 - (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:

निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी',
 राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष
 वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्ट्रीय परीक्षण

(12)

शाला : सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय

परीक्षण शाला : सदस्य 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:

- 1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी,

 राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष

 2. वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्ट्रीय परीक्षण

 शाला : सदस्य
- प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय
 परीक्षण शाला : सदस्य
- 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक,उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य

सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(13)

किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुयक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 3. वैज्ञानिक अधिकारी (गैर-विध्वंसक)	(2) 08* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित)	(4) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रूपये 47600- 151100/-	(5) चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य
					के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	आयु: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले	33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान	शैक्षिक	व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	जिसके न हो सकने पर
से भौतिकी में मास्टर डिग्री अथवा इलैक्ट्रिकल	अर्हताएं: नहीं	टिप्पण : परिवीक्षा के रूप में,	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके
इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या		पद के कार्यों और	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
धातुकर्म में डिग्री; और		उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में	भी है), 67 प्रतिशत सीधी
(ii) किसी गैर-विध्वंसक परीक्षण प्रयोगशाला में एक		राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा	भर्ती द्वारा।
वर्ष का अनुभव अथवा एक्स-रे विवर्तन या विफल		प्रकल्पित और प्रायोजित दो	
इंजीनियरिंग सामग्री पर गैर-विध्वंसक तथा		से चार सप्ताह का अनिवार्य	
मैटलोग्राफी परीक्षण विधि द्वारा निरीक्षण कार्य में		अभिमुखी प्रशिक्षण।	
एक वर्ष का अनुभव।			
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा			
में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक			
सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।			

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)(12)(13)प्रोन्नति: समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: सीधी भर्ती करते समय संघ ऐसे वैज्ञानिक सहायक (गैर-विध्वंसक) जिन्होंने 1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-142400/-परीक्षण शाला परामर्श करना आवश्यक है। : अध्यक्ष में नियमित आधार पर नियक्ति के पश्चात दो वर्ष 2. वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ मामले विभाग : सदस्य व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंत् समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अईक या 1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम परीक्षण शाला : अध्यक्ष हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 2. वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा : सदस्य पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि परीक्षण शाला : सदस्य सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की मामले विभाग : सदस्य संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित

समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

वेतन मैटिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियक्ति के पश्चात 2 वर्ष नियमित सेवा है।

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण-1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

	Г	I	I .		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	12* (2016)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं
वैज्ञानिक	(*कार्यभार के	सेवा समूह 'ख'	में लेवल-8		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों
अधिकारी	आधार पर	(राजपत्रित)	रूपये		या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
(मैकेनिकल)	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	47600-		पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
	जा सकता है⊦)		151100/-		टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख
					होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल
					और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी
					उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख होगी।)

(11)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	आयु: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय	शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	जिसके न हो सकने पर
अथवा संस्थान से भौतिकी में		टिप्पण : परिवीक्षा के रूप में,	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके
मास्टर डिग्री अथवा मैकेनिकल		पद के कार्यों और	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
इंजीनियरिंग या धातुकर्म में डिग्री;		उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में	भी है, 50 प्रतिशत सीधी
, और		राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा	भर्ती द्वारा।
(ii) मैकेनिकल परीक्षण प्रयोगशाला में एक		प्रकल्पित और प्रायोजित दो	
वर्ष का अनुभव अथवा समवर्गी क्षेत्र में		से चार सप्ताह का अनिवार्य	
अनुसंधान एवं विकास का एक वर्ष का		अभिमुखी प्रशिक्षण।	
अनुभव।		-	
टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित			
अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो			
लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के			
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।			
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों			
के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक			
सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित			
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के			
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा			
सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ			
लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके			
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए			
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के			
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने			
की संभावना नहीं है।			

___ सीधी भर्ती करते समय संघ प्रोन्नति: समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: ऐसे वैज्ञानिक सहायक (मैकेनिकल) जिन्होंने 1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग से परामर्श वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-परीक्षण शाला : अध्यक्ष करना आवश्यक है। 142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के 2. वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण पश्चात् दो वर्ष सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां मामले विभाग : सदस्य उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति: जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी 1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से परीक्षण शाला : अध्यक्ष जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे 2. वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या : सदस्य पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा परीक्षण शाला 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की मामले विभाग : सदस्य संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को

(12)

(13)

उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।
 - (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुयक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.वैज्ञानिक	08*(2016)	साधारण केंद्रीय सेवा	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं होता
अधिकारी	(*कार्यभार के	समूह 'ख' (राजपत्रित)	लेवल-8		
(भौतिकी सिविल)	आधार पर परिवर्तन	अननुसचिवीय अननुसचिवीय	रुपये 47600-		
	किया जा सकता है।)		151100/-		

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
		• • •	जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)(12)(13)समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: प्रोन्नति: सीधी भर्ती करते समय संघ ऐसे वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी-सिविल) लोक सेवा आयोग से परामर्श 1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय जिन्होंने वेतन मैट्टिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-करना आवश्यक है। परीक्षण शाला 142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के 2. वैज्ञानिक सी (भौतिक सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण पश्चात दो वर्ष सेवा की है। : सदस्य टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, परीक्षण शाला : सदस्य 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां मामले विभाग : सदस्य उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: जाएगा परंत् यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता 1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से परीक्षण शाला : अध्यक्ष जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे 2. वैज्ञानिक सी (भौतिक सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या : सदस्य पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा परीक्षण शाला : सदस्य की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की मामले विभाग : सदस्य संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-(i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में **(**क) नियमित आधार पर समत्लय पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैटिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर

किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैटिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.वैज्ञानिक	07* (2016)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं
अधिकारी (भौतिक	(* कार्यभार के	सेवा समूह 'ख'	में लेवल-8		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों
रबड़ प्लास्टिक	आधार पर	्र (राजपत्रित)	रुपये 47600-		या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
कपड़ा)	परिवर्तन किया	्राजनाया <i>)</i> अननुसचिवीय	151100/-		पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
	जा सकता है।)				टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले
					तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान
					और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों
					के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	आयु: नहीं	सीधे भर्ती किए	70 प्रतिशत प्रोन्नति
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से	शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	जाने वाले	द्वारा जिसके न हो
भौतिकी अथवा रसायन में मास्टर डिग्री अथवा		व्यक्तियों के लिए	सकने पर प्रतिनियुक्ति
कैमिकल इंजीनियरिंग अथवा कपड़ा तकनीकी अथवा		दो वर्ष	द्वारा जिसके अंतर्गत
रबड़ तकनीकी अथवा प्लास्टिक तकनीकी अथवा		टिप्पण : परिवीक्षा	
पॉलीमर एवं रबड़ तकनीकी अथवा कैमिकल तकनीकी		के रूप में, पद के	भी है, 30 प्रतिशत
में डिग्री; और		कार्यों और	सीधी भर्ती द्वारा।
(ii) कपड़ा अथवा रबड़ अथवा प्लास्टिक अथवा पेपर अथवा		उत्तरदायित्वों के	
चमड़ा और उनके उत्पाद के परीक्षण में कार्यरत प्रयोगशाला		क्षेत्र में राष्ट्रीय	
में एक वर्ष का अनुभव अथवा समवर्गी क्षेत्रों में अनुसंधान		परीक्षण शाला	
एवं विकास का एक वर्ष का अनुभव।		द्वारा प्रकल्पित और	
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन		प्रायोजित दो से	
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के		चार सप्ताह का	
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		अनिवार्य अभिमुखी	
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध		प्रशिक्षण।	
किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित			
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब			
शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक			
सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को			
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के			
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)(12)(13)प्रोन्नति: समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: सीधी भर्ती करते समय संघ ऐसे वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक 1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग कपड़ा) जिन्होंने वेतन मैटिक्स के लेवल-7 रुपये परीक्षण शाला परामर्श करना आवश्यक है। 44900-142400/- में नियमित आधार पर नियक्ति के 2. वैज्ञानिक सी (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक पश्चात दो वर्ष सेवा की है। कपड़ा), राष्ट्रीय परीक्षण शाला टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के मामले विभाग : सदस्य संबंध में भी विचार किया जाएगा परंत् यह तब जब समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति: उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित 1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने परीक्षण शाला : अध्यक्ष अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक 2. वैज्ञानिक सी (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक कपड़ा), राष्ट्रीय परीक्षण शाला या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। परीक्षण शाला : सदस्य टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी मामले विभाग : सदस्य द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य

क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।
 - (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. ए-12018/07/2014-एन.टी.एच.] डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन टी एच)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 7th December, 2016

- **G.S.R. 238.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Calcutta and Bombay, Scientific Officers Recruitment Rules, 1975, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Officers in the National Test House, Kolkata and its regional offices, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely:—
- **1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Officers Recruitment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification, level in the pay matrix .- The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.** The method of recruitment to the posts, agelimit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.- No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post	Age- limit for direct recruits
				or Non-	
				Selection Post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Scientific	18* (2016)	General	Level 8 in	Selection.	Not exceeding 30 years.
Officer	(*Subject to	Central	the Pay		(Relaxable for Government servants up to
(Electrical).	variation	Service	Matrix		five years in accordance with the
	dependent	Group 'B'	Rs.47600-		instructions or orders issued by the
	on work	(Gazetted),	151100/		Central Government).
	load).	Non-			Note: The crucial date for determining the
		Ministerial.			age- limit shall be the closing date for
					receipt of applications from candidates in
					India (and not the closing date prescribed
					for those in Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh
					Division of Jammu and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti District and Pangi Sub
					Division of Chamba District of Himachal
					Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or
					Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifycations prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Physics or Degree in Electrical Engineering or Degree in Electrical and Electronic Engineering or Degree in Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institute; and (ii) One year's experience of advanced electrical or electronics measurements in a Laboratory or one year's experience in the field of testing and development of Electrical Stores like Motors or Switchgears or Lamp and Photometry or Batteries or Cables or Electrical Accessories etc. experience Calibration of Electrical measuring instruments and equipments as per Indian Standard or International Standardisation Organisation or International Electrotechnical Commission Norms. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age : No Educational Qualification : No	Two years for direct recruits. Note: Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.	50% by promotion failing which by deputation including short term contract, 50% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or	If a Departmental Promotion committee	Circumstances in which
deputation or absorption grades from which	exists, what is its composition	Union Public Service
promotion or deputation or absorption to be		Commission is to be
made		consulted in making
		recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:		Consultation with
Scientific Assistant (Electrical) with two	Group 'B' Departmental Promotion	Union Public Service
years' service in level 7 in the Pay Matrix	Committee :-	Commission necessary
Rs.44900-142400/-, rendered after	1. Director Grade II or Scientist 'D', National	while making direct

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successful completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation(including short term contract)

Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
- (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in

- Scientist 'C' (Electrical), National Test
 House : Member
 Administrative Officer (Administration),
 National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director,
 Department of Consumer Affairs : Member

Group 'B' Departmental Confirmation Committee:

- 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Electrical), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director,
 Department of Consumer Affairs : Member

the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific	40* (2016)	General	Level 8 in	Selection.	Not exceeding 30 years.
Officer	(* Subject to	Central	the Pay		(Relaxable for Government
(Chemical).	variation	Service,	Matrix		servants up to five years in
	dependent on	Group 'B'	Rs.47600-		accordance with the instructions or
	work load).	(Gazetted),	151100		orders issued by the Central
		Non-			Government).
		Ministerial.			Note: The crucial date for
					determining the age-limit shall be
					the closing date for receipt of
					applications from candidates in
					India (and not the closing date
					prescribed for those in Assam,
					Meghalaya, Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Ladakh Division
					of Jammu and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti District and
					Pangi Sub Division of Chamba
					District of Himachal Pradesh,
					Andaman and Nicobar Islands or
					Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	
Essential:	Age: No	Two years for direct recruits.	50% by promotion	
(i) Master's Degree in Chemistry	Educational	Note: Mandatory Induction	failing which by	
or Master's Degree in	Qualification: No	Training of two to four weeks as	Deputation including	
Microbiology or Degree in		devised and sponsored by the	short term contract.,	
Chemical Technology or degree		National Test House in the field	50% by direct	
in Chemical Engineering from a		of duties and responsibilities of	recruitment.	
recognised University or Institute;		the post, as part of probation.		
and				
(ii) One year's experience in an				

analytical or Chemical Testing Laboratory or one year's Experience of Research Development work or analysis of ores, Minerals, metals or Oil & Fuel and various Organic and Inorganic products or paint or polymer materials. Note 1 : Qualifications relaxable at the discretion of the Public Union Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union **Public** Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy

Promotion:ConstScientific Assistant (Chemical) with
two years' service in level 7 in the PayGroup 'B' Departmental Promotion Committee:-Union
Comm

two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400, rendered after appointment there to on a regular basis.

reserved for them.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successful completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay

- Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Chemical), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member

Group'B'Departmental Confirmation Committee:

- 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Chemical), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration),
 National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs: Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

(13)

Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract)

Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
 - (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note2:For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommen-

dations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Scientific Officer	08*	General	Level 8 in the	Selection.	Not exceeding 30 years.
(Non – Destructive)	(2016)	Central	Pay Matrix		(Relaxable for Government
	(*Subject	Service,	Rs.47600-		servants up to five years in
	to	Group 'B'	151100/		accordance with the instructions
	variation	(Gazetted),			or orders issued by the Central
	dependent	Non-			Government).
	on work	Ministerial.			Note: The crucial date for
	load).				determining the age-limit shall
					be the closing date for receipt of
					applications from candidates in
					India (and not the closing date
					prescribed for those in Assam,
					Meghalaya, Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Ladakh
					Division of Jammu and Kashmir
					State, Lahaul and Spiti District
					and Pangi Sub Division of
					Chamba District of Himachal
					Pradesh, Andaman and Nicobar
					Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Physics or Degree in Electrical Engineering or Degree in Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institute; and (ii) One year's experience in Nondestructive testing Laboratory or one year's experience in X-Ray Diffraction or investigation work on failure Engineering Material by Non-destructive and metallographic methods of testing. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is or are	Age: No Educational Qualification: No	Two years for direct recruits. Note: Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.	33% by promotion failing which by deputation (including short term contract), 67% by direct recruitment.

relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(12) (13)

Promotion:

Scientific Assistant (Non-Destructive) with two years regular service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400, rendered after appointment there to on a regular basis.

(11)

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successful completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract)

Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
 - (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Group 'B' Departmental Promotion Committee:

- Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Non-Destructive), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer
 (Administration), National Test
 House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director,
 Department of Consumer
 Affairs : Member.

Group'B'Departmental Confirmation Committee:

- Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Non-Destructive), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment. Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

		1	1	1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Scientific	12* (2016)	General	Level 8 in		Not exceeding 30 years.
Officer	*Subject to variation	Central	the Pay	Selection.	(Relaxable for Government servants
(Mechanical).	dependent on work	Service	Matrix		up to five years in accordance with the
	load.	Group 'B'	Rs.47600-		instructions or orders issued by the
		Gazetted	151100/		Central Government).
		Non-			Note: The crucial date for determining
		Ministerial.			the age-limit shall be the closing date
					for receipt of applications from
					candidates in India (and not the
					closing date prescribed for those in
					Assam, Meghalaya, Arunachal
					Pradesh, Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh
					Division of Jammu and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti District and Pangi
					Sub Division of Chamba District of
					Himachal Pradesh, Andaman and
					Nicobar Islands or Lakshadweep).
					_

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Age: No	Two years for direct	50 % by promotion
(i) Master's Degree in Physics or Degree in	Educational	recruits.	failing which by
Mechanical Engineering or Degree in	Qualification: No	Note: Mandatory	deputation
Metallurgy from a recognised University or		Induction Training of	including short
Institute; and		two to four weeks as	term contract., 50%
(ii) One year's experience in Mechanical		devised and sponsored	by direct
testing Laboratory or one year's experience in		by the National Test	recruitment.
Research and Development in allied field.		House in the field of	
Note 1 : Qualifications are relaxable at the		duties and	
discretion of the Union Public Service		responsibilities of the	
Commission, for reasons to be recorded in		post, as part of	
writing, in the case of candidates otherwise		probation.	
well qualified.			
Note 2: The qualification(s) regarding			
experience is or are relaxable at the discretion			
of the Union Public Service Commission, for			
reasons to be recorded in writing in the case			
of candidates belonging to Scheduled Castes			
or Scheduled Tribes if at any stage of			
selection the Union Public Service			
Commission, is of the opinion that sufficient			
number of candidates from these			
communities possessing the requisite			
experience are not likely to be available to fill			
up the vacancy reserved for them.			

(11)(12)(13)**Promotion: Departmental** Consultation with Union Group **Promotion** Scientific Assistant (Mechanical) with two Committee:-Public Service years' service in level 7 in the Pay Matrix Director Grade II or Scientist 'D'. Commission necessary Rs.44900-142400, rendered after National Test House : Chairman direct while making appointment there to on a regular basis. Scientist 'C' (Mechanical), National Test recruitment. **Note 1:** Where juniors who have completed House : Member their qualifying or eligibility service are Administrative Officer (Administration), being considered for promotion, their National Test House : Member seniors would also be considered provided Under Secretary or Deputy Director, they are not short of the requisite Department of Consumer Affairs qualifying or eligibility service by more : Member. than half of such qualifying or eligibility Group 'B' Departmental Confirmation service, or two years, whichever is less, Committee :have successful completed their Director Grade II or Scientist 'D', probation period for promotion to the next National Test House : Chairman Scientist 'C' (Mechanical), National Test higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or House : Member eligibility service. Administrative Officer (Administration), Note 2: For the purpose of computing National Test House Under Secretary or Deputy Director, minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by Department of Consumer Affairs an officer prior to 1st January, 2016 (the : Member. date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation (including short term contract) Officers under Central or State Governments Union Territory Administrations **Public** Sector or

Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
 - (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.Scientific	08* (2016)	General Central	Level 8 in the	Selection.	Not applicable.
Officer((Physical	*Subject to	Service, Group	Pay Matrix		
Civil).	variation	'B' (Gazetted),	Rs.47600-		
	dependent on	Non-Ministerial.	151100/		
	work load.				

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short term contract.

Promotion:

Scientific Assistant (Physical - Civil) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400/-,rendered after appointment there to on a regular basis.

(11)

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successful completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract)

Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration

(12) Group 'B' Departmental Promotion Committee :-

- 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House: Chairman
- 2. Scientist 'C' (Physical Civil), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.

Group 'B' Departmental Confirmation Committee:-

- Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Physical Civil), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy
 Director, Department of Consumer
 Affairs : Member.

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(13)

for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 6. Scientific Officer (Physical Rubber Plastic Textile)	(2) 07* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	(3) General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non- Ministerial.	(4) Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/	(5) Selection.	(6) Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for
					determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh
					Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Age : No	Two years for	70% by promotion
(i) Master's Degree in Physics or Master's	Educational	direct recruits.	failing which by
Degree in Chemistry or Degree in Chemical	Qualification: No		deputation including
Engineering or Degree in Textile Technology or		Note: Mandatory	short term contract.,
Degree in Rubber Technology or Degree in		Induction Training	30% by direct
Plastic Technology or Degree in Polymer &		of two to four weeks	recruitment.
Rubber Technology or Degree in Chemical		as devised and	
Technology from a recognized University or		sponsored by the	
Institute; and		National Test House	
(ii) One year's experience in a Laboratory		in the field of duties	
engaged in the testing of Textile or Rubber or		and responsibilities	
Plastic or Paper or Leather and their products or		of the post, as part of	
one year's experience in Research and		probation.	
Development in the allied fields.			
Note 1 : Qualifications are relaxable at the			
discretion of the Union Public Service			
Commission, for reasons to be recorded in			
writing, in the case of candidates otherwise well			
qualified.			
Note 2: The qualification(s) regarding			
experience is or are relaxable at the discretion of			
the Union Public Service Commission, for			
reasons to be recorded in writing in the case of			
candidates belonging to Scheduled Castes or			
Scheduled Tribes if at any stage of selection the			
Union Public Service Commission, is of the			
opinion that sufficient number of candidates			
from these communities possessing the requisite			
experience are not likely to be available to fill up			
the vacancy reserved for them.			

Promotion:

Scientific Assistant (Physical Rubber Plastic Textile) with two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400/-, rendered after appointment there to on a regular basis.

(11)

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successful completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(12) Group 'B' Departmental Promotion Committee :-

- 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Physical Rubber Plastic Textile), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy
 Director, Department of Consumer
 Affairs : Member.

Group 'B' Departmental Confirmation Committee:-

- 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Physical Rubber Plastic Textile), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy
 Director, Department of Consumer
 Affairs : Member.

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

(13)

Deputation (including short term contract)

Officers under Central or State Governments or Union **Territory** Administrations Public Sector or Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or **Bodies** Statutory Autonomous or Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
 - (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. A-12018/07/2014- NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

- सा.का.नि. 239.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, निजी सचिव, भर्ती नियम, 2015 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षणशाला, निजी सचिव भर्ती नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे- मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न पे- मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4.** निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।
 - (ख) जिसने, अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे- मैट्रिक्स में स्तर	चयन या	सीधी भर्ती किए
				अचयन पद	जाने वाले व्यक्तियों
					के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव	01* (2016)	साधारण केंद्रीय सेवा,	पे- मैट्रिक्स में स्तर 7,	चयन	लागू नहीं होता
	(*कार्यभार के	समूह 'ख' – राजपत्रित,	रुपये 44900-142400		
	आधार पर परिवर्तन	अनुसचिवीय			
	किया जा सकता है।)	अनुसाचवाय			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने
			पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

	T	T m 2 22 0 0 22 22
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में
दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या	संरचना।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।		किया जाएगा।
, ,	(12)	` '
(11) प्रोन्नितः ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने पे- मैट्रिक्स स्तर 6, रुपये 35400-112400 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के अनुवर्ती स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा। प्रितिचुक्तिः केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे आशुलिपिक:- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए है; या (ii) जिन्होंने पे- मैट्रिक्स स्तर 6, रुपये 35400-112400 या समकक्ष में मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।	(12) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) निम्निलेखित से मिलकर बनेगी हैं: 1. निदेशक ग्रेड 2 या वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. अवर सचिव/उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य	(13) संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुयक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

िटप्पण- 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का पे- मैट्रिक्स सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) तक विस्तारित होगा जिसके लिए पे मैट्रिक्स स्तर बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी पे- मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा.सं. ए-12018/08/2014-एन.टी.एच.]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

New Delhi, the 7th December, 2016

- **G.S.R. 239.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Private Secretary Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the National Test House, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Test House, Private Secretary Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification and level in the pay matrix. The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.** .- The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay	Whether	Age limit for
			Matrix	selection or non-	direct recruits
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Private Secretary	01* (2016)	General Central	Level 7 in the	Selection	Not applicable
	(*Subject to	Service, Group	pay matrix,		
	variation	'B', Gazetted,	Rupees 44900-		
	dependent on	Ministerial	142400		
	workload)				

Educational and other	6	Period of probation, if any.	Method of recruitment
qualifications required for			whether by direct
direct recruits.	prescribed for direct recruits		recruitment or by promotion
	will apply in the case of		or by deputation/absorption
	promotees		and percentage of the
			vacancies to be filled by
			various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing
			which by deputation

In case of recruitment by promotion or	If Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in
deputation/absorption, grades from which	what is its composition	which Union Public
promotion or deputation/ absorption to be		Service Commission
made		is to be consulted in
		making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Consultation with
Stenographer Grade I in the level 6 in the	Committee(for considering promotion)	Union Public Service
pay matrix, Rupees 35400-112400 with five	consisting of :-	Commission is not
years' service in the grade rendered after	Director Grade II or Senior most Scientist	necessary
appointment thereto on a regular basis.	'D', National Test House – Chairman	
Note 1 : Where juniors who have completed	2 Administrative Officer, National Test	
their qualifying or eligibility service are being	House – Member	
considered for promotion, their seniors would	3. Under Secretary/Deputy Director,	
also be considered provided they are not	Department of Consumer Affairs - Member	
short of the requisite qualifying or eligibility		
service by more than half of such qualifying		
or eligibility service or two years whichever is		
less, and have successfully completed their		
probation period for promotion to the next		
higher grade along with their juniors who		
have already completed such qualifying or		
eligibility service.		

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pav Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay extended based on recommendations of the Pay Commission.

Deputation:

Stenographers under the Central Government:

- (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 6 in the pay matrix, Rupees 35400-112400 or equivalent in the parent cadre or department.
- **Note 1**: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2:** The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
- Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. A-12018/08/2014- NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2016

- सा.का.नि. 240.— राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, निदेशक (ग्रेड-2) भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) में राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में निदेशक (श्रेणी-2) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, निदेशक (ग्रेड-2) भर्ती नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न पे-मैट्रिक्स स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- **5. शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
			मैट्रिक्स में	अथवा	
			स्तर	चयन पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक	04* (2016)	साधारण	वेतन	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी
(श्रेणी-2)	(* कार्यभार के	केंद्रीय सेवा	मैट्रिक्स में		निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के
	आधार पर	समूह 'क'	स्तर-13		लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)
	परिवर्तन किया	्र्र (राजपत्रित)	रूपये		टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक
	जा सकता है।)	अननुसचिवीय	118500-		तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के
			209200/-		लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह
					जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,
					मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर
					राज्य के लद्दाख संभाग, हिमांचल प्रदेश के लाहोल और
					स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-सम्भाग,
					अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के
					अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य	क्या सीधी भर्ती के लिए	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति –भर्ती सीधे
अहर्ताएं	विहित आयु और शैक्षिक	अवधि यदि	=-
1,6,1,2	अहर्ताएं पदोन्नति के	कोई हो	होगी या प्रोन्नति द्वारा या
	मामले में लागू होगी	2 6.	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा
			तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का
(7)	(0)	(0)	प्रतिशत
(7)	(8)	(9) सीधी भर्ती के	(10)
आवश्यक:	आयु∶ नहीं		प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन	शैक्षिक अर्हताएं: हां	लिए दो वर्ष	पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत
(शुद्ध या व्यावहारिक)/भौतिकी (शुद्ध या			अल्पकालिक संविदा भी है)
व्यावहारिक) में स्नाकोत्तर की डिग्री या			द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
इंजीनियरिंग या धातुकर्म या वस्त्र/रबड़			साधा भता द्वारा ।
प्रौद्योगिकी में डिग्री या उसके समकक्ष।			
(ii) पदार्थों के परीक्षण और मूल्यांकन के क्षेत्र में			
प्रबंधकीय कार्य का 12 वर्ष का अनुभव और			
पदार्थ विज्ञान की किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला			
या संस्थान में पदार्थ व्यवहार का ज्ञान प्राप्त हो।			
टिप्पणी 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की			
दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार			
शिथिल की जा सकती है।			
टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी (अर्हताएं) संघ लोक सेवा			
आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और			
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब			
शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर			
संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उसके लिए			
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के			
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			
संभावना नहीं है।			
वांछनीय:			
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से			
रसायन/भौतिकी में डाक्टरेट की डिग्री या			
इंजीनियरिंग/धातुकर्म/प्रौद्योगिकी में स्नाकोत्तर			
की डिग्री या उसके समकक्ष।			
(ii) प्रशासनिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव विशेषकर			
किसी प्रयोगशाला में।			
(iii) औद्योगिक सामग्री तथा परीक्षण संबंध पद्धति में			
अनुसंधान का अनुभव।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन या	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है यदि	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा
स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां	हां तो, इसके संघटक क्या हैं ।	आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श
जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति		किया जाएगा।
अथवाआमेलन अथवा स्थानांतरण किया		
जाएगा।		
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12, रूपये	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के	सीधी भर्ती करते समय और किसी
98800-209200/- में विभागीय वैज्ञानिक	संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके
'डी' जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित	मिलकर बनेगी:	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
सेवा की हो।	1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई	पर नियुक्ति करते समय संघ लोक
टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के	सदस्य : अध्यक्ष	सेवा आयोग से परामर्श करना
संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	2. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला; और	आवश्यक है।
	: सदस्य	

सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है):-

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (ग) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर धारित समतुल्य पद धारण कर रहे हैं: अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12, रूपये 78800-209200/- या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो: और
 - (घ) स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

टिप्पण-1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुयक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 3. अपर/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य

पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी::

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण

शाला : अध्यक्ष 2. अपर/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले

विभाग सदस्य

िटप्पण- 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. ए-12018/3/1998-एन टी एच] डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन टी एच)

New Delhi, the 6th December, 2016

- **G.S.R. 240.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) National Test House, Kolkata, Director (Grade II), Recruitment Rules, 2007, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Grade II) in the National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1). These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), National Test House, Director (Grade II) Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.** The method of recruitment to the said post, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- **4. Disqualification.-** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non- selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director (Grade-II)	04* (2016) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial	Level 13 in the Pay Matrix rupees 118500-rupees 209200.	Selection	Not exceeding 50 years (relaxable for Government Servants by five years' in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Subdivision of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
ESSENTIAL: (i) Master's Degree in Chemistry(Pure/Applied)/, Physics (Pure/Applied) or Degree in Engineering or Metallurgy or Textile / Rubber Technology of a recognised University or equivalent; (ii) twelve years' experience in Managerial capacity in the field of testing and evaluation of materials and knowledge of their behavior in a laboratory or institution of standings specialising in Material science.	Age: No Educational Qualification: Yes	Two years for direct recruits	Promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.

Note 1 : Qualifications are relaxable at		
the discretion of the Union Public		
Service Commission in case of		
candidates otherwise well qualified.		
Note 2: The qualification(s) regarding		
experience is /are relaxable at the		
discretion of the Union Public Service		
Commission in the case of candidates		
belonging to Scheduled Castes or		
Scheduled Tribes if at any stage of		
selection the Union Public Service		
Commission is of the opinion that		
sufficient number of candidates from		
these communities possessing the		
requisite experience are not likely to		
able available to fill up the posts		
reserved for them.		
DESIRABLE:		
(i) Doctorate Degree in Chemistry/		
Physics or Post Graduate Degree in		
Engineering/Metallurgy/Technology		
from a recognised University or		
equivalent;		
(ii) Administrative experience		
preferably in a laboratory; and		
(iii) Research experience in Industrial		
materials and testing methodology.		

In case of recruitment by promotion/deputation, grades from which promotion/deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
Promotion: The departmental Scientist D in the level 12 in the Pay Matrix rupees 78800-209200 with five years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (Including Short-term Contract) Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies/ Research Institute/Universities. (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/Department; or	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - 1. Chairman or a Member of Union Public Service Commission - Chairman 2. Director General, National Test House - Member and 3. Additional Secretary/ Joint Secretary, Department of Consumer Affairs Member Group 'A' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of - 1. Director General, National Test House - Chairman; and 2. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).

- (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 12 in the Pay Matrix rupees 78800-209200 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).
- **Note 1.** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2.** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
- **Note 3.** The Maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level extended based on the recommendations of the said Pay Commission

[F. No. A-12018/3/1998-NTH]

D.K. SONKER, Dy. Director (NTH)